<u>उत्तर प्रदेश शासन</u>

<u>पर्यटन अनुभाग</u>

<u>संख्या-86/2020/870/41-2020-87(बजट)/2017</u>

लखनऊ दिनांक 02 मार्च, 2020

<u>संख्या-283/2019/2334(2)/41-2019-87(बजट)/2017 दिनांक 23.12.2019</u>

<u>का शुद्धि पत्र</u>

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड ठठउर में समय माता मंदिर के निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु संशोधित प्रशासकीय एवं अवशेष वित्तीय स्वीकृति विषयक निर्गत शासनादेश **संख्या-283/2019/2334(2)/41-2019-87(बजट)/2017 दिनांक 23.12.2019** के पृष्ठांकन के क्रमांक 4 पर **मुख्य कोषाधिकारी गोरखपुर** के स्थान पर त्रुटिवश **मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ** टंकित हो गया है।

2. अत: शासनादेश **संख्या-283/2019/2334(2)/41-2019-87(बजट)/2017 दिनांक 23.12.2019** के पृष्ठांकन के क्रमांक 4 पर टंकित **मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ** को विलोपित करते हुए **मुख्य कोषाधिकारी गोरखपुर** अंकित किया जाता है। शासनादेश दिनांक **23.12.2019** की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

अत: कृपया शासनादेश **संख्या-283/2019/2334(2)/41-2019-87(बजट)/2017 दिनांक 23.12.2019** उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-86/2020/870(1)41-2020-87(बजट)/2017 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, गोरखपुर।
4- मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर।
5- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड गोरखपुर।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
10- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, गोरखपुर।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in